CNR NO-UPBU010080662026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-4, बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः-3095/2026
उपस्थित-प्रमोद कुमार गुप्ता, (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड संख्या-यू०पी०-6400

1-राहुल उर्फ डेविड उम्र करीब 28 वर्ष।
2-दीपक राज उम्र करीब 26 वर्ष।
पुत्रगण ठाकुरदास, निवासीगण-ग्राम धौरऊ थाना छतारी जिला-बुलन्दशहर।

...............आवेदकगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं.-189/2026
धारा-8/20 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।
थाना-छतारी, जिला-बुलन्दशहर।

दिनांक-29.06.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण राहुल उर्फ डेविड व दीपक राज द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2026 को पुलिसबल द्वारा अभियुक्तगण राहुल उर्फ डेविड व दीपक राज को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राहुल उर्फ डेविड व दीपक राज की जामातलाशी ली गयी, तो उनके कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण से बरामद दिखाये गये गांजे की मात्रा कमर्शियल मात्रा से कम है। बरामदगी का कोई पब्लिक का गवाह नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 19.05.2026 से जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध हैं। अतः अनुरोध किया गया है कि जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. ऐक्ट) के तर्कों को सुना गया तथा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. ऐक्ट) द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

आवेदकगण/अभियुक्तगण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उनके पास से संयुक्त रूप से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण से बरामद माल की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर जो बरामदगी दर्शायी है, उसके सम्बन्ध में किसी भी राजपत्रित अधिकारी से जामातलाशी नहीं करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा बरामद माल की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण राहुल उर्फ डेविड व दीपक राज की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं०-3095/2026, धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण राहुल उर्फ डेविड व दीपक राज, प्रत्येक को मु०-70,000/-(सत्तर हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा जाता है।

दिनांक-29.06.2026

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-04, बुलन्दशहर।
जो.ओ. कोड-यू.पी. 6400

Steno-Mohammad Usman

Digitally signed by PRAMOD KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.29 16:01:48 IST
Reason: Document Owner
Location: addl. District and Sessions Court-4